

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या- 2/नि0-1-101/12 **303**


पटना, दिनांक- 16/11/16

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-264 दि0-19.10.16 द्वारा संविदा पर निम्नांकित कनीय यांत्रिक अभियंताओं को 27,000/- (सताइस हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त पारिश्रमिक पर एकरारनामा के शर्तों पर अधिकतम अगले एक वर्ष के लिए तृतीय पुनर्नियोजन करते हुए उनके नाम के सामने अंकित (स्तम्भ-9) स्थान में पदस्थापित किया जाता है-

क्र0	योग्यता क्रमांक	कनीय अभियंता (यांत्रिक) का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	स्थायी पता	पत्राचार का पता	आरक्षण कोटि	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1201	श्री कुमार गौरव	14.02.1990	स्व0 विकास चन्द्र सिंह	कुमार गौरव, प्रकाश चन्द्र सिंह, ग्राम+पो0- अथरी, थाना-रून्नी सैदपुर, जिला- सीतामढी बिहार-843311	कुमार गौरव, प्रकाश चन्द्र सिंह, ग्राम+पो0- अथरी, थाना-रून्नी सैदपुर, जिला- सीतामढी बिहार-843311	सामान्य	यां0 प्रशाखा- बेतिया यां0 प्रमंडल- मुजफ्फरपुर
2	512	अनुप्रीति	18.02.1987	श्री हीरालाल सिंह	ग्रा0- रसीदपुर पो0- खानपुरमाल थाना- बाथ जिला- भागलपुर बिहार- 813212	ग्रा0- रसीदपुर पो0- खानपुरमाल थाना- बाथ जिला- भागलपुर बिहार- 813212	पि0व0म 0	यां0 प्रशाखा- बांका यां0 प्रमंडल- भागलपुर
3	446	लखेन्द्र कुमार	02.02.1988	श्री रामवृत्त राम	ग्रा0- छपरा मनोरथ पो0- थाना- भाया- मुजफ्फरपुर- बिहार-848108	ग्रा0- शाहवाजपुर पो0- भिखनपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर- 842004 (बिहार)	अनु0 जा0	यां0 प्रशाखा- सीतामढी यां0 प्रमंडल- मुजफ्फरपुर

- यह नियोजन केवल कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद के लिए है।
- नियोजित कनीय अभियंताओं को रू0 27,000/- (सताइस हजार) रू0 मात्र प्रतिमाह एक मुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगी एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता/राशि देय नहीं होगी।

4. उपरोक्त संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं को सरकारी सेवक को देय कोई सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
7. नियोजन की संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर, विभाग द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।
8. पन्द्रह दिन के अन्दर योगदान नहीं देने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
9. पद ग्रहण के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की शर्तें मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
11. संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं से बिहार लोक निर्माण संहिता एवं तकनीकी परीक्षण कोषांग तथा विभाग से समय-समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों के आलोक में कार्य लिया जायगा परन्तु इन्हें कोई वित्तीय एवं स्टोर का प्रभार नहीं दिया जायगा।
12. इसपर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


 (दया शंकर मिश्र)
 संयुक्त सचिव (प्र०को०)


ज्ञापांक- 2/नि०-1-101/12 303

दिनांक- 16/11/16

E-Mail

प्रतिलिपि- सभी यांत्रिक अधीक्षण अभियंता/ सभी यांत्रिक कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. अनुरोध है कि कनीय अभियंताओं का योगदान प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को उपलब्ध करावे ताकि इनका पारिश्रमिक शीघ्रता-शीघ्र भेजा जा सके।


 (दया शंकर मिश्र)
 संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 2/नि०-1-101/12 303

दिनांक- 16/11/16

प्रतिलिपि- सभी नियोजित कनीय अभियंता (यांत्रिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 (दया शंकर मिश्र)
 संयुक्त सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 2/नि0-1-101/12 303

दिनांक- 16/11/16

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक- 2/नि0-1-101/12 303

दिनांक- 16/11/16

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल एवं सचिवालय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति-सह-प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक- 2/नि0-1-101/12 303

दिनांक- 16/11/16

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के निजी सहायक/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/प्रशाखा-4 एवं लेखा-शाखा (दो प्रति में)/आईटी मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दया शंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव (प्र0को0)